न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 28/2021

अपीलाण्ट

1. थानमल पुत्र श्री पुखराज, जाति–जैन, निवासी–खिंवाडा, तहसील–रानी, जिला–पाली, हाल ठिकाना– दीपक ज्वेलर्स, पुलिस थाने के सामने, स्टेशन रोड, मैन बाजार, थाणा(वेस्ट) महारास्ट्र–400601

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र श्री मोहनलाल, जाति– जैन, निवासी–201, Arihant tower Dr. Ramesh Road, Near Hotel Aai Krupa, Thane(West)
2. प्रमोद कुमार पुत्र श्री मोहनलाल, जाति–जैन, निवासी Flat No-1902, Oasis Sapphire Co-Operative housing society Opp-Khopat S.T. Bus depot, Thane(West)
3. चंदाबाई पुत्री श्री मोहनलाल धर्मपत्नी श्री जयंतीलाल जाति–जैन सेमलानी, निवासी–Flat No.- 2201, Oasis Sapphire Co-Operative housing society Opp.- Khopat S.T. Bus depot, Thane(west)
4. अरूणा पुत्री श्री मोहनलाल धर्मपत्नी श्री विमल जी, जाति–जैन, मण्डारी, निवासी&Swarna Prabhat Plot No. 26/b Janakpuri Colony, Kharkhana, Secundrabad(Andhra Pradesh)
5. सुमन पुत्री श्री मोहनलाल धर्मपत्नी श्री संजय, जाति जैन मरलेचा, निवासी 464, Prem Vila Bungalow Elphistone Road, Opp. Allegaokar School, Khadki. Pune City, Pune Maharastra
6. राजुल पुत्री श्री मोहनलाल धर्मपत्नी श्री किशोर कुमार, जाति जैन धौका, निवासी 82 South end road, Near yediyur circle, Basavamgudi, Banglor South, Karnataka
7. राज्य सरकार भूमिधारी तहसीलदार रानी, जिला–पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1(डी) सीपीसी

उपस्थित :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री अभिनव चण्डालिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

—: निर्णय :—

दिनांकः— 06/01/2023

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 04/2019 बउनवान विनोद कुमार बनाम थानमल में आदेश दिनांक 19.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1(डी) सीपीसी का प्रस्तुत किया, जिस पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने आवेदन में वर्णित तथ्यों अनुसार निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील आदेश दिनांक 19.4.2021 जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 संपठित धारा 151 सीपीसी में पारित किया, के विरूद्ध धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की है अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के द्वारा रेस्पोडेण्ट्स प्रार्थीगण विनोद कुमार का आदेश 9 नियम 13 आदि का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए एक तरफा प्राथमिक व अंतिम निर्णय व डिक्री को सेट एसाइड किया गया है। आदेश 43 नियम 1(डी) सीपीसी के प्रावधान आकृष्ट होने से आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के आदेश के विरूद्ध अपील पेश नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को खारिज फरमावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये— 2004(13) SSC 679

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने अपने जवाब में वर्णित अनुसार निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09 नियम 13 संपठित धारा 151 सी0पी0सी0 को स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेण्ट का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 91 व 92 ए आर. टी. एक्ट का ही हिस्सा है, क्योंकि उक्त आदेश के जरिये प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अंतिम निर्णय व डिक्री को अपास्त किया गया, उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध धारा 223 आर. टी. एक्ट के तहत अपील के प्रावधान है। अतः आदेश 43 नियम 1(डी) सीपीसी के प्रावधान धारा—208 आर.टी.एक्ट के तहत राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 से असंगत उपबन्ध होने से ऐसी असंगती की सीमा तक लागू नहीं होगा। जैर अपील आदेश धारा 225 आर.टी.एक्ट. के तहत अपीलेबल आदेश होने से जैर अपील के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। जो किसी भी प्रकार से बार्ड बाई लॉ नहीं है। रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1(डी) खारिज किया जावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये– 2020 RBJ 688, RBJ(17) 2010, RBJ(14) 2007, 1994(1) RBJ 257, RBJ(11) 2004 467, RRD 86 Page No 666, RBJ(13) 2006 400

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब एवं बहस से यह स्वीकृत स्थिति है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 172/2013(मूल प्रकरण संख्या 152/2011) में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2018 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 को अपास्त करने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2021 को रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त करने का आदेश पारित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की। प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1(डी) प्रस्तुत कर यह विधिक तथ्य रेखांकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के निर्णय की अपील पोषणीय नहीं है।

प्रकरण में विधिक बिन्दु यह प्रकट होता है कि आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के निर्णय की अपील पोषनीय है या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 1(डी) के प्रावधानुसार अपील पोषनीय नहीं है?

इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 43 नियम 1 में उल्लेखित प्रावधान निम्न प्रकार है–

आदेशो की अपीलें– धारा 104 के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी, अर्थात–

(क) वादपत्र के उचित न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटाने का आदेश जो आदेश 7 के नियम 10 के अधीन दिया गया हो,

(ग) वाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए (ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है) आवेदन को नामंजूर करने का आदेश 9 के नियम 9 के अधीन दिया गया हो;

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(घ) एकपक्षीय पारित डिक्री को अपास्त करने के आदेश के लिए(ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है) आवेदन के नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 9 के नियम 13 के अधीन दिया गया हो;

इससे स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने के विरूद्ध ही अपील पोषणीय है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 व संपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वाद को पुनः नम्बर पर लेने का आदेश दिया है। जिसके विरूद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 43 नियम 1(डी) के तहत अपील पोषनीय नहीं है, यहां अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा उठाये गए बिन्दु इस संबंध में प्रासंगिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 208 की उपधारा 1 में स्पष्ट प्रावधान है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अधिनियम 1955 के प्रकरणों पर लागू होते है, किन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता के जो प्रावधान अधिनियम 1955 के प्रावधानों के असंगति(inconsistency) में नहीं होंगे, वो प्रावधान ऐसी असंगति की सीमा तक अधिनियम 1955 के प्रकरणों पर लागू नहीं होगें। अधिनियम की धारा 208 में दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के लागू होने के संबंध में निम्न प्रावधान हैः–

"208. **सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना–** सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन के सब वादों ओर कार्यवाहियों पर, सिवायः–

(क) इस अधिनियम में किसी बात से असंगत उपबंधों के, ऐसी असंगति की सीमा तक,

(ख) इस अधिनियम की व्याप्ति के बाहर के विशेष वादों या कार्यवाहियों पर ही लागू उपबंधों के तथा

(ग) चतुर्थ अनुसूची की सूची (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के,

चतुर्थ अनुसूची की सूची 01 में अन्तर्विष्ट उपान्तरणों के अध्ययीन लागू होंगे।"

उपरोक्त धारा के संबंध में अधिनियम की अधिसूची 4 को देखने से स्पष्ट है कि सी.पी.सी. की धारा को वर्जित नहीं किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में यह प्रावधान है कि कुछ अपवादों को छोड़कर अधिनियम के तहत क़ी जाने वाली कार्यवाहियों की प्रक्रिया पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे। चतुर्थ अनुसूची के अपवादों में सीपीसी की धारा 104 सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 43 नियम 1 (घ) के अनुसरण में भी हस्तगत प्रकरण का परीक्षण किया जाता है, तो अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण में पारित एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो आदेश 43 नियम 1(घ) सी0पी0सी0 के तहत अपील की श्रेणी में शुमार नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त यदि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अनुक्रम में भी प्रकरण का परीक्षण किया जाता है, तो धारा 225 (1) में यह प्रावधान है कि "इस अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के आवेदन पर पारित अंतिम आदेश की ओर ऐसे अन्य आदेशों की, धारा 212 में और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 104 में वर्णित है, की अपील अनुज्ञेय होगी।" हस्तगत प्रकरण में जिस आवेदन पत्र आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, उक्त आवेदन अधिनियम, 1955 की अनुसूची–तृतीय में विनिर्दिष्ट नहीं हैं। इस कारण उक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 को स्वीकार किये जाने बाबत पारित आदेश की अपील उक्त धारा 225 में अनुज्ञेय नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 225, आदेश 43 नियम 1 (घ) के तहत परिपोषणीय नहीं होने से खारिज़ की जाती हैं। इस आदेश की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली